न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 05/2018

बउनवान

सोहन सिंह आयु 32 साल पुत्र श्री दीवानसिंह जाति–अहीर, निवासी ग्राम पाटन उचित मूल्य दूकानदार, सांधरी ग्राम पंचायत सनवाडा तहसील–शाहबाद जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 05-02-2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 27.11.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेंट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर [illegible] है कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय व आदेश कानून व [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि आरोप पत्र मे लगाये [illegible] निर्णय में विवेचना भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित प्रका[illegible] साथ नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफ[illegible] अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्याया[illegible] अपीलांट के विरूद्व 239/16 दिनांक 22.3.2016, 46/16 दिनांक 26.5.16, 48/2016 दिनांक 26.5.2016, 111/16 दिनांक 08.08.2016, 149/16 दिनांक [illegible]10.2016 एवं अपीलीय निर्णय प्र0स0 198/16 दिनांक 06.12.2016 [illegible] है एवं अपीलांट को बार–बार मौका दिया जाना फिर भी [illegible] होने का गंभीर अनियमितताओं की बार–बार पुनरावृति करने [illegible]थ न्यायालय ने दिनांक 07.12.2016 को कारण बताओं नो[illegible] द्वारा दिनांक 11.11.2016 को निरीक्षण करना बताया। किन्तु मौका रिपोर्ट पर्चा से आरोपो की पुष्टि नहीं होती है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 31.10.2017 निरस्त किया जाकर, लाईसेंस बहाल किया जावे।

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम सनवाडा का उचित मूल्य दूकानदार है। अपीलांट के विरूद्व राजनैतिक द्वेषता के कारण गॉव के कुछ लोगो ने झूठी शिकायत की गयी है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा झूठे व काल्पनिक आधार पर केस तैयार किये गये है। कोई भी केस खाद्यान्न वितरण में अनियमितता एवं गबन से संबंधित नहीं है। मात्र कयास पर आधार पर केस तैयार किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को एक केस में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है कि डीलर का फोन बंद आता है, जिसका अपीलांट ने दिनांक 27.07.2016 को उपस्थित होकर जवाब दिया गया है कि गॉव में नेटवर्क नहीं आने के कारण फोन पर बात नहीं होती है। इसी प्रकार एक प्रकरण संख्या 46/2016 में नोटिस पोस मशीन का उपयोग नहीं करने बाबत दिया गया है जिसका दिनांक 15.06.2016 को संतोषप्रद जवाब जिला रसद अधिकारी, बारां को पेश किया गया है। अपीलांट के विरूद्व छोटी–छोटी शिकायत के आधार पर कार्यवाहीं की गयी है, उसपर कोई गम्भीर आरोप प्रमाणित नहीं है जिनके कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया जावे, सभी आरोप सम्य योग्य है।

4— अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के सभी पत्रावलियों को एक साथ संयोजित कर, कयासों के आधार पर राजनैतिक दबाव में आकर, प्रकरण संख्या 149/16 में सभी आरोपों को एकसाथ आरोपित कर, अपीलांट के विरूद्व यह आदेश पारित किया गया कि डीलर को बार–बार मौका देने के बावजूद भी डीलर में सुधार नहीं है, अनियमितताओं की पुनरावृति करता है। इसी आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। उक्त आदेश पारित करने के पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा [illegible] दिनांक 15.6.2016 एवं 27.07.2016 को जवाब पेश किये गये है। [illegible] ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। ना हीं [illegible] आरोपों की पुष्टि एवं प्रमाणितता की स्वंय के स्तर पर कोई जॉच [illegible] उसके आवंटन, वितरण एवं रेकार्ड की कभी जॉच की गयी है। [illegible] अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी के समक्ष नहीं है जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनैतिक दबाव में प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। आदेश पारित करने से पूर्व यह मनन नहीं किया गया कि अपीलांट के विरूद्व काई ठोस आधार [illegible] करने के पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] सुनवाई व जवाबदेहीं के एकपक्षीय कार्यवाहीं कर, प्राधिकार [illegible] है, उक्त आदेश पूर्णतया विधिविरूद्व एंव न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.10.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट जो ग्राम सांधरी सनवाडा का उचित मूल्य दूकानदार है। इसके विरूद्व रसद विभाग में लगातार दूकान सहीं प्रकार से संचालन नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके आधार पर अपीलांट के विरूद्व प्र0सं0 239/16 प्र0सं0 46/16, प्र0सं0 48/2016, प्र0सं0 111/16 प्र0स0 149/16 एवं प्र0स0 198/16 दर्ज हुये है। डीलर आदतन अनियमितताऐं करने का आदि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को इन अनियमितताओं को सुधार हेतु कई अवसर दिये गये है किन्तु डीलर में कोई सुधार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपो को प्रमाणित मानकर, दिनांक 31.10.2017 को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्व शिकायते प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। अपीलांट के विरूद्व प्रकरण प्र0स0 46/16 एवं 239/16 में कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है, जिनमें अपीलांट द्वारा दिनांक 15.6.2016 एवं 27.07.2016 को जवाब प्रस्तुत किये गये है। शेष प्रकरण प्र0सं0 149/16 को छोडकर किसी भी अन्य प्रकरण में अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किये गये है। प्र0सं0 149/16 में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी प्रकरणों को एक साथ संयोजित कर, नोटिस जारी किये गये है किन्तु नोटिस जारी होने के पश्चात् अपीलांट को सुनवाई एवं जवाबदेहीं का अवसर प्रदान नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी प्रकरणों में जो आरोप अपीलांट के विरूद्व लगाये गये है। यह आरोप अपीलांट पर प्रमाणित है या नहीं इसकी कोई विवेचना नहीं की गयी है ना हीं अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब की कोई व्याख्या की गयी [illegible] इस आधार पर कि डीलर द्वारा अनियमितताओं की पुनरावृति की गयी है, उस आधार पर किसी भी डीलर का उचित मूल्य दूकान का प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि अपीलांट के विरूद्व कोई अनियमितता प्रमाणित है तो उसकी पूर्ण विवेचना के आधार पर हीं निर्णय में विवेचना कर हीं आदेश पारित करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)